

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन शाखा के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान वायडी

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी वायडी व भूअ.नि.
की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार वायडी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वायडी तहसील खैरवाड़ा जिला
की जमाबन्दी सम्बन्धी 2025-2028 में खाता संख्या 60 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>वायडी</u>	<u>60</u>	<u>गोताम पुत्र सला डिंगी</u>	<u>दीनतमल पुत्र सला डिंगी</u>

(वायडी)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- 2021/694

दिनांक :- 03/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, खैरवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गोतामल पुत्र सला डिंगी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.))
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

रिपोर्ट पटवारी व भू. अ. नि.

महोदय जी,

निकेदन है कि राजस्व ग्राम-वायडी की जमाबन्दी संवत् 2025-7 की खाता सं. 60 में प्रार्थी का नाम गोतम पुत्र खला दर्ज है जबकि इनके पदजान संबंधी अन्य सभी दस्तवेजों में नाम गौतमलाल पुत्र खला दर्ज है। अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम गोतम पुत्र खला के बजाय गौतमलाल पुत्र खला दर्ज किया जाना उचित है।

Dinesh
01/12/21
ICR खला

9.11.21

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

मुताबिक पटवारी व भू. अ. नि. की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम-~~वायडी~~ वायडी की खाता सं. 60 में खलेफाट का नाम गोतम पुत्र खला के बजाय गौतमलाल पुत्र खला दर्ज करने की अभिशंका की जाती है।

3-12-21
तहसीलदार-खैरवाड़ा
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खैरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम वायडी के खाता सं. 60 में खलेफाट का नाम गोतम पुत्र खला के बजाय गौतमलाल पुत्र खला करने की स्वीकृति दी जाती है।

9/12/21
उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा